

फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री नारायण लाल व्यास पिता स्व. डालचन्द व्यास निवासी गरावला, ग्रा. पं. बिलोदा, तह. डूंगला
बनाम

- 1-ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डूंगला, पं. स. डूंगला
2-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 27 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/02/21	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री नारायण लाल व्यास पिता स्व. डालचन्द व्यास निवासी गरावला, ग्राम पंचायत बिलोदा, पं. स. डूंगला द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 18.11.2020 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, डूंगला को प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, डूंगला द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, डूंगला के विरुद्ध प्रथम अपील दिनांक 10.02.2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला को प्रस्तुत की गई। उसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी (ग्राम विकास अधिकारी), ग्राम पंचायत, डूंगला तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला द्वारा अपीलार्थी को उक्त आवेदन पत्र से चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, डूंगला को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी ग्राम पंचायत, डूंगला से संबंधित है जो कि पंचायती राज विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी (ग्राम विकास अधिकारी), ग्राम पंचायत, डूंगला तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला) से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करने तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	



(के.के. शर्मा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)